स्वामी ओम का नामांकन रद्द

By : INVC Team Published On : 26 Apr, 2019 04:29 PM IST

आई एन वी सी न्यूज़ नई दिल्ली, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से हिन्दू महासभा - दारा सेना के संयुक्त प्रत्याशी स्वामी ओम जी ने चुनाव आयोग द्वारा उनके नामांकन को खारिज किये जाने को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

इसकी जानकारी धर्मरक्षक श्री दारा सेना के कार्यालय में आयोजित बैठक में दारासेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जैन ने हिन्दू संगठनों को देते हुए कहा कि दिनांक 24 अप्रैल को नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान चुनाव अधिकारी ने एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत स्वामी ओम जी को बताया कि उनका नामांकन पत्र सही होने के बाद भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते क्यों कि फरवरी 2015 के नई दिल्ली विधान सभा चुनाव में बरती गयी अनियमितता के कारण चुनाव आयोग ने स्वामी ओम जी पर 7 जून 2019 तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। इस बारे में स्वामी ओम जी ने कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया है। मुझे चुनाव लड़ने से रोकने वाली ताकते अरविन्द केजरीवाल गैंग की वो ही नक्सली ईसाई आतंकवादी ताकते हैं, जिन्होंने यौन शोषण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई को फंसाया है। जिसका खुलासा वें 29 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने करेंगे।

URL : https://www.internationalnewsandviews.com/स्वामी-ओम-का-नामांकन-रद्द/

12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.